

पीड़ित पक्ष के विधिक वारिसान का चिन्हिकरण शेष है की सूचना

(उस बंदी का नाम प्रविष्ट करना है, जिनसे सम्बधित पिड़ित पक्ष/वारिसान का चिन्हिकरण नहीं हुआ है उस

बंदी को कभी भी भुगतान नहीं है सुचना तैयार करने की तिथि तक उस उक्त बंदी का भुगतान पेन्डिंग है)

प्रपत्र-3

कारागृह का नाम	बंदी का नाम व वल्दियत	पुलिस थाना	जिला	FIR No.	धारा	पीड़ित पक्ष को सम्भावित देय राशि
1	2	3	4	5	6	7
विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास दौसा	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL